26/3/21

[illegible] हुई। आज यह तय, मुण्डावर [illegible]

[illegible] का पंजीकृत किया [illegible]

आदेशानुसार आगे कार्यवाही हेतु दिनांक.....

को पेश हो।

31/3/21

31/3/21

प्रार्थना पत्र वास्ते उप खण्ड अधि. प्रार्थी/प्रतिवादी की ओर से 07 रा.पा.डी. का लाए। यह कि वादिका ने अपने पति के मृतक पश्चात् प्रतिवादी सं. 18 रामलाल, 19 मंगलराम, 25 रामकी पुत्र दिलबुल, हंसराज, 37 नौनिहाल, 41 चमेली, 58 गिरधारी, 59 बंशराज की मृत्यु उपरान्त पश्चात् बनाया कानूनी वारिस पेश किया है तथा प्रतिवादी सं. 50, 66, 79, 82 के गलत नाम दर्ज करने का किया है तथा प्रति. सं. 51, 52, 87 लव 90, 91, 103, 104 लव 108 की गलत वल्दीयत दर्ज करवाने पश्चात किया है साथ ही राजस्व रिकार्ड दर्ज रहे हितबद्ध लाली पत्नि शिवनारायण के तकारार के बाद से आवश्यक पक्षकार नहीं बनाये जाने के का बहसी प्रार्थना पत्र पेश कर वादी के वाद की आज्ञप्ति 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत खारिज किये जाने का निवेदन रहा। जवाबदावे अनुसार प्रार्थी/वादी के अपने जवाब दावे के कोई होने की जानकारी नहीं होना रिकार्ड के दर्ज वारिस लाली पत्नि शिवनारायण को स्वयं ने दावा पक्षकार बनाये जाने हेतु जानकारी वादिका को अपने [illegible] का बयान कराने हेतु पेश किया [illegible] प्रार्थना पत्र वादिका के कथन रहा। प्रार्थना पत्र के साथ

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rawat
Date: 2021.06.24 10:33:19 IST
Reason: SelfAttested

किस्म ..... मुकदमा नं० ..... दिनांक .....

हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर एवं तारीख अहकाम हुक्म की तामील में जारी हुए

बाकुलाल की सहमति हुई। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी/प्रतिवादी की प्रार्थना पत्र को सहन्यायालय स्वीकारयोग्य पाता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी/प्रतिवादी की दि० 07.01.19 की स्वीकारयोग्य पाये जाने की/किये की दि० 07.01.19 की स्वीकृति की जाती है एवं वादी के प्रार्थी/प्रतिवादी की दि० स्वीकृति की जाती है एवं वादी द्वारा प्रस्तुत प्रकाशन आदेश के बाद का विरोध किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो। खर्चा उभय पक्ष वहन करेंगे। (शुभा गुप्ता)

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.06.24 10:33:19 IST
Reason: SelfAttested